न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प भोपाल

PBR/निगरानी/भोपाल/स्टा.अधि/ रिवीजन प्रकरण क्रमांक 2018/1054

1. प्रवीण अग्रवाल उर्फ प्रवीण गोयल
2. राजेश गोयल

पुत्रगण श्री त्रिलोकीनाथ गोयल
निवासीगण ई–7/60, अरेरा कालोनी, भोपाल ...... रिवीजनकर्तागण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला पंजीयक (मुद्रांक)
आई.एस.बी.टी. परिसर, भोपाल (म.प्र.) ...... उत्तरार्थी

रिवीजन अन्तर्गत धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

रिवीजनकर्ता प्रकरण क्रमांक 128/अपील/16–17 आदेश दिनांक 10/01/2018 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल पक्षकार प्रवीण अग्रवाल उर्फ प्रवीण गोयल व अन्य विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन से दुखित एवं विक्षुब्ध होकर रिवीजनकर्ता निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह रिवीजन याचिका उपरोक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत करता है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/स्टाम्प/18/1054 (प्रवीण/श्रवण)

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0डी0पटेल द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-1-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन लीज होल्ड भूखण्ड पर मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं उनका पुनरीक्षण नियम 2000 के जिला मूल्यांकन समिति द्वारा बाजार मूल्य की संगणना हेतु निर्मित गाईड लाईन के आधार पर प्रश्नाधीन संपत्ति का मूल्यांकन कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है।अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	